बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक- 165209 **पटना, दिनांक:-** 03.10.13

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(Mon.)-102-30/2013

संकल्प

विषय :- इंदिरा आवास योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अनुश्रवण एवं प्रबंधन के निमित्त ग्रामीण आवास सहायक के 8422, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक के 821, लेखा सहायक (ग्रामीण आवास) के 534 एवं कार्यपालक सहायक के 900 पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन के संबंध में ।

इंदिरा आवास योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है । राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के आवास निर्माण के निमित्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु जनवरी 1996 से यह योजना प्रारंभ की गई ।

2. राज्य में इस योजना अंतर्गत प्रत्येक वर्ष लगभग 6 से 8 लाख परिवारों को आवास निर्माण हेतु सहायता दी जाती है । वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत क्षेत्रीय स्तर पर इंदिरा आवास से संबंधित पर्यवेक्षण एवं प्रबंधन कार्यों का दायित्व पंचायत सचिव का है । पंचायत सचिव के अन्य दायित्वों के निर्वहन में व्यस्तता के कारण इंदिरा आवास योजना का प्रभावी अनुश्रवण नहीं हो पाता है ।

3. इंदिरा आवास योजना की 01.04.2013 से लागू संशोधित मार्गदर्शिका की कंडिका 3.6 में प्रशासनिक व्यय हेतु योजना की 4% राशि को व्यय करने का प्रावधान किया गया है । मार्गदर्शिका में संविदा के आधार पर नियुक्ति करने, योजना के अनुश्रवण, लाभुकों को तकनीकी सहयोग प्रदान करने हेतु तथा MIS कार्य के लिए कम्प्यूटर के जानकार कर्मियों को रखने का प्रावधान है |

4. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में इंदिरा आवास योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अनुश्रवण एवं प्रबंधन के निमित्त ग्रामीण आवास सहायक, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, लेखा सहायक (ग्रामीण आवास) एवं कार्यपालक सहायक (Executive Assistant) का संविदा के आधार पर नियोजन करने का निर्णय लिया गया है । इन पदों पर नियोजन हेतु पदों की संख्या, प्रतिमाह मानदेय, योग्यता, उम्र-सीमा, चयन का आधार एवं प्रक्रिया, संविदा की शर्तें आदि निम्न तालिका के अनुसार होगी :-

क्रम	पद का नाम	पदों की सं0	संविदा के आधार पर नियोजन के लिए निर्धारित प्रतिमाह मानदेय	नियोजन हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	उम्र सीमा	चयन का आधार
1	2	3	4	5	6	7
1.	ग्रामीण आवास सहायक	8422	*6681/माह	मान्यता प्राप्त बोर्ड /संस्थान से इंटर या समकक्ष योग्यता	चयन के वर्ष 1ली जनवरी को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष	• इंटर में प्राप्त कुल अंक प्रतिशत (अतिरिक्त विषय छोड़कर) के बराबर अंक • इंटर में गणित सहित उत्तीर्ण- 10 बोनस अंक

						• स्नातक में उत्तीर्ण (गणित सहित)- 20 अतिरिक्त बोनस अंक • स्नातक में उत्तीर्ण (गणित रहित)- 10 अतिरिक्त बोनस अंक • स्नातकोत्तर-10 बोनस अंक
2.	ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक	821	*12500/माह	बी०एस०सी०(गणित/ भौतिक/रसायन/ कृषि/वानिकी) अथवा अभियंत्रण में मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/संस्थान से डिप्लोमा/डिग्री	चयन के वर्ष 1ली जनवरी को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष	• बी०एस०सी० में प्राप्त प्रतिशत के बराबर अंक अथवा • अभियंत्रण में डिप्लोमा में प्रतिशत के बराबर अंक+10 बोनस अंक • असैनिक अभियंत्रण में डिप्लोमा में प्रतिशत के बराबर अंक+20 बोनस अंक • अभियंत्रण में डिग्री के प्रतिशत के बराबर अंक+30 बोनस अंक • असैनिक अभियंत्रण में डिग्री में प्राप्त प्रतिशत के बराबर अंक+40 बोनस अंक • डिप्लोमा के बाद डिग्री करने पर मात्र डिग्री का बोनस अंक अनुमान्य होगा • स्नातकोत्तर के लिए-10 बोनस अंक
3.	लेखा सहायक (ग्रामीण आवास)	534	*9500/माह	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से बी० कॉम उत्तीर्ण	चयन के वर्ष 1ली जनवरी को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष	• बी० कॉम में प्राप्त प्रतिशत के बराबर अंक • एम० कॉम में -10 अतिरिक्त बोनस अंक • CA -20 अतिरिक्त बोनस अंक
4.	कार्यपालक सहायक	900	*9000/माह	बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के पैनल से		

*** राज्य सरकार द्वारा मानदेय की दरों में समय-समय पर संशोधन किया जा सकेगा ।**

26.9.13

इन पदों के लिए दायित्व निम्न प्रकार का होगा -

75

पद का नाम	दायित्व
ग्रामीण आवास सहायक	• स्थाई प्रतीक्षा सूची का निर्माण • प्रतीक्षा सूची का सामाजिक अंकेक्षण • स्थाई प्रतीक्षा सूची से प्रखण्ड के अभिलेखों से मिलान तथा सुपात्र परिवार/लाभुकों का चयन • लक्ष्य के अनुसार लाभुकों के चयन में प्र०वि०पदा० को सहयोग • लाभुकों को चयन की जानकारी सुनिश्चित करना • बैंक खाता खोलवाने में लाभुकों को सहयोग • लाभुकों की फोटोग्राफी तथा शपथ पत्र में सहयोग • पासबुक वितरण में सहयोग • नियमित रूप से क्षेत्र भ्रमण कर आवास निर्माण प्रगति का अनुश्रवण • निर्माणाधीन आवासों/पूर्ण आवासों की फोटोग्राफी • समय पर आवास निर्माण नहीं पूरा करने वाले लाभुकों की पहचान • आवास निर्माण पूर्ण कराना • आवासों की पूर्णता का प्रतिवेदन • प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले अन्य कार्य
ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक	• आवास निर्माण में लाभुकों को तकनीकी सहयोग प्रदान करना • लाभुकों को आवास निर्माण करने हेतु प्रेरित करना • ग्रामीण आवास सहायक के द्वारा दिए गए प्रतिवेदन की जांच एवं उनके कार्यों का पर्यवेक्षण • आवासों की पूर्णता का सत्यापन करना • प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले अन्य कार्य
लेखा सहायक (ग्रामीण आवास)	• इंदिरा आवास योजना से सम्बंधित लेखा का संधारण • अंकेक्षण सम्पन्न कराना • प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले अन्य कार्य
कार्यपालक सहायक	• इंदिरा आवास योजना से संबंधित समुचित IT प्रबंधन • आवास सॉफ्ट पर DRDA से राशि प्राप्त करना • आवास सॉफ्ट पर लाभुकों की विवरणी अपलोड करना • स्वीकृति हेतु proposal तैयार करना • स्वीकृति के पश्चात Order Sheet Generate करना • आवास सॉफ्ट के माध्यम से राशि का हस्तांतरण • फोटो अपलोड • निरीक्षण अपलोड करना • प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले अन्य कार्य

5. उपर्युक्त सभी पदों के लिए निर्धारित उम्र-सीमा में विभिन्न वर्गों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित छूट अनुमान्य होगी ।

6. उपर्युक्त सभी पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन करते समय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जिला के लिए आदर्श रोस्टर/आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा ।

7. ग्रामीण आवास सहायक, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, लेखा सहायक (ग्रामीण आवास) एवं कार्यपालक सहायक के पदों पर संविदा के आधार पर नियोजनार्थ योग्य उम्मीदवारों का चयन जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नवत गठित समिति द्वारा किया जायेगा -

26.9.13

(74)

क) उप विकास आयुक्त (उपाध्यक्ष)

ख) अनुसूचित जाति/जन जाति वर्ग के एक पदाधिकारी (सदस्य)

ग) जिला कल्याण पदाधिकारी (सदस्य)

घ) निदेशक एन०ई०पी० अथवा निदेशक एन०ई०पी० के प्रभार में रहने वाले पदाधिकारी (सदस्य सचिव)

8. चयन की प्रक्रिया

चयन की पक्रिया निम्नवत होगी -

- आवेदक के द्वारा किसी एक जिले में ही आवेदन किया जा सकता है ।
- आवेदन ऑन लाइन ही स्वीकार किया जाएगा ।
- हर पद के लिए अलग-अलग आवेदन देना होगा तथा अलग-अलग आवेदन शुल्क जमा करना होगा ।
- आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के उपरान्त निर्धारित तिथि को जिला की चयन समिति के समक्ष सभी आवेदकों का पदवार/वर्गवार प्रारूप मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा जिसे जिले के वेबसाईट पर प्रकाशित किया जाएगा ।
- इस प्रारूप पर कोई भी आवेदक प्रकाशन के एक सप्ताह के भीतर चयन समिति के सदस्य सचिव के समक्ष आपत्ति कर सकता है ।
- आपत्ति/दावों पर विचारण के उपरान्त अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन किया जाएगा ।
- प्रत्येक वर्ग की मेधा सूची के मेरिट क्रम में जिले के आवश्यक बल का 50% अधिक उमीदवारों का पैनल तैयार किया जाएगा ।
- मेरिट क्रम में आवेदकों को ई मेल के द्वारा /वेबसाईट के माध्यम से काउंसेलिंग की तिथि की सूचना दी जायेगी ।
- निर्धारित तिथि को अनुपस्थित रहने पर उम्मीदवार का दावा रद्द कर दिया जाएगा ।
- बराबर अंक रहने पर अधिक उम्र वाले को वरीयता दी जायेगी ।
- यह पैनल मात्र एक साल के लिए वैध होगा । पैनल के निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने पर अथवा पैनल समाप्त हो जाने पर इसी प्रक्रिया से अगला पैनल तैयार किया जाएगा ।

कार्यों का मूल्यांकन-

सहायकों/पर्यवेक्षकों के कार्यों का मूल्यांकन निम्न प्रकार से किया जायेगा ।

क. मूल्यांकन वाले वर्ष तथा उसके पूर्व के वर्ष में स्वीकृत आवासों का कम से कम 50% आवास की पूर्णता

ख. इससे पूर्व के वर्षो के स्वीकृत आवासों का कम से कम 20% आवासों की पूर्णता

ग. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य आधार

9. संविदा पर चयन एक वर्ष के लिए होगा । कार्य संतोषजनक होने पर पुन: एक वर्ष के लिए नवीकृत किया जा सकेगा । कार्य संतोषप्रद नही होने पर इनके कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर सेवामुक्त किया जा सकेगा ।

10. संविदा शर्तों के अनुसार एकरारनामा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के साथ किया जायेगा । संविदा पर नियोजित किये जाने वाले कर्मियों को एकरारनामा के साथ प्रतिभूति की राशि के रूप में ₹ 15,000 (पन्द्रह हजार रूपये) का राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (NSC)/बैंक गांरटी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पास जमा करनी होगी ।

26.9.13

11. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर संविदा पर नियोजित कर्मियों को हटाने का अधिकार उप विकास आयुक्त को होगा । इस संबंध में किसी भी प्रकार का अपील जिला पदाधिकारी के स्तर पर की जायेगी, जिनका निर्णय अंतिम होगा ।

12. संविदा पर नियोजित ग्रामीण आवास सहायक एवं ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक को क्षेत्रीय कार्यों को सुगमतापूर्वक करने के लिए Android based phone (अधिकतम 8000 रूपये तक की लागत पर) दिया जायेगा एवं ग्रामीण आवास सहायक को साईकिल (अधिकतम 2500 रूपये तक की लागत पर) की भी सुविधा दी जायेगी ।

13. संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों को बिहार सरकार द्वारा अनुमान्य अवकाश की स्वीकृति देय होगी ।

14. संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जायेंगे । इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात् सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा ।

15. संविदा की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति का पुनर्नियोजन नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका नियोजन स्वत: समाप्त माना जायेगा और इसके लिए कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा ।

16. इंदिरा आवास योजना केन्द्र प्रायोजित योजना है, अतएव संविदा के आधार पर यह नियोजन तभी तक मान्य होगा जबतक योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार से आवश्यक निधि (फंड) प्राप्त होती रहेगी ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

26.9.13

(अमृत लाल मीणा)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक- 165209 दिनांक:- 03.10.2013

ग्रा.वि.-5/ इं.आ.यो.(Mon)-102-30/2013

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार वीर चन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.9.13

सरकार के सचिव

ज्ञापांक- 165209 दिनांक:- 03.10.2013

ग्रा.वि.-5/ इं.आ.यो.(Mon)-102-30/2013

प्रतिलिपि-अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुरोध है कि इस संकल्प को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर संकल्प की 300 प्रतियाँ उपलब्ध करा दी जाय ।

26.9.13

सरकार के सचिव

ज्ञापांक- 165209 दिनांक:- 03.10-13

ग्रा.वि-5/ई.आ.यो (Mon)-102-30/2013.

प्रतिलिपि-सदस्य राजस्व पर्षद, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

26.9.13

सरकार के सचिव

ज्ञापांक- 165209 दिनांक:- 03.10-13

ग्रा.वि-5/ई.आ.यो.(Mon)-102-30/2013

प्रतिलिपि-सभी प्रधान सचिव/ सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

26.9.13

सरकार के सचिव

ज्ञापांक- 165209 दिनांक:- 03-10-13

ग्रा.वि-5/ई.आ.यो (Mon)-102-30/2013.

प्रतिलिपि-सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

26.9.13

सरकार के सचिव

ज्ञापांक- 165209 दिनांक:- 03-10-13

ग्रा.वि-5/ई.आ.यो.(Mon)-102-30/2013

प्रतिलिपि-सभी पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. श्री सुनिल कुमार, आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के लिए प्रेषित ।

26.9.13

सरकार के सचिव

ज्ञापांक- 165209 दिनांक:- 03.10-13

ग्रा.वि-5/ई.आ.यो.(Mon)-102-30/2013

प्रतिलिपि-आप्त सचिव, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

26.9.13

सरकार के सचिव